v/;k; 2

foRrh; i.cU/ku ,oa ctVh; fu;=.k

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा के सम्पादन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत उस वर्ष के लिये बजट में प्राधिकृत थीं एवं संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होने वाला व्यय उस पर भारित था तथा विधि सम्मत नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए धनराशियाँ व्यय की गयी हैं।

2.1 fofu;ksx y{[kk dk lkjka'k foo.k

उत्तर प्रदेश शासन के बजट मैनुअल में निर्धारित है कि नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा सभी अन्तिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिये।

वर्ष 2016-17 के दौरान 93 अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति **lkj.kh 2.1** में दी गयी है:

lkj.kh 2.1¼ iko/kkuks dk lkis{k fd;s x;s okLrfod 0;; dh laf{kIr fLFkfr

¼₹ djksM+ esa½

0;; dh izd`fr		dqy vuqnku@ fofu;ksx	okLrfod 0;;	Ckpr ¼&½@ vkf/kD; ¼+½	vH;fiZr /kujkf'k	31 ekpZ 2017 dk vH;fiZr /kujkf'k	31 ekpZ 2017 rd vH;fiZr cpr dh izfr'krrk
1		2	3	4	5	6	dk-5@dk-4
दत्तमत	I राजस्व	2,30,390.06	2,01,665.78	(-)28,724.28	15,618.45	15,618.45	54
	II पूंजीगत	95,670.33	82,444.94	(-)13,225.39	6,982.61	6,982.61	53
	III ऋण तथा अग्रिम	7,644.69	6,741.09	(-) 903.60	460.14	460.14	51
	;ksx nÙker	**3,33,705.08**	**2,90,851.81**	**(-)42,853.27**	**23,061.20**	**23,061.20**	**54**
Hkkfjr	IV राजस्व	38,582.41	38,072.27	(-) 510.14	27.23	27.23	05
	V पूंजीगत	28.65	5.85	(-) 22.80	10.59	10.59	46
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	15,512.49	20,302.67	(+) 4,790.18	00	00	--
	;ksx Hkkfjr	**54,123.55**	**58,380.79**	**(+)4,257.24**	**37.82**	**37.82**	**--**
	egk;ksx	**3,87,828.63**	**3,49,232.60**	**(-)38,596.03**	**23,099.02**	**23,099.02**	**60**

नोटः वास्तविक व्यय के आंकड़ों में दत्तमत राजस्व व्यय (₹ 3,145.78 करोड़) एवं दत्तमत पूंजीगत व्यय (₹ 12,661.68 करोड़) के अन्तर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

(स्रोतः विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज वर्ष 2016-17)

₹ 45,513.63 करोड़ की कुल बचत एवं ₹ 6,917.60 करोड़ के आधिक्य के परिणामस्वरूप ₹ 38,596.03 करोड़ की निवल बचत हुई।

दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत बचत की धनराशि कुल अनुदानों/विनियोगों का 11 *प्रतिशत* थी। विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 15,497.01 करोड़ (दत्तमत श्रेणी के अन्तर्गत बचत का 36 *प्रतिशत*) वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यपगत होने दिया गया। अवशेष बचतों में से ₹ 23,061.20 करोड़ 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। दूसरे शब्दों में, वर्ष के दौरान दत्तमत श्रेणी के अन्तर्गत कुल बचतों ₹ 42,853.27 करोड़ में से मात्र ₹ 4,295.06 करोड़ (10 *प्रतिशत*) वित्त विभाग के पास पुनर्विनियोग

के लिए उपलब्ध था। यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा प्रभावी बजटीय नियन्त्रण को सुनिश्चित करने में वित्त विभाग की असफलता दर्शाता है।

भारित अनुभाग के अन्तर्गत, लोक ऋण–पुनर्भुगतान ₹ 4,790.18 करोड़ की अधिकता तथा राजस्व एवं पूंजीगत के अन्तर्गत हुए बचत ₹ 532.94 करोड़ के परिणामस्वरूप कुल आधिक्य ₹ 4,257.24 करोड़ का हुआ। बचत में से ₹ 37.82 करोड़ 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया।

lLrfr वित्त विभाग को विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति का अनुश्रवण करना चाहिये जिससे निधियों का अनावश्यक रूप से अवरोधन न हो तथा अभ्यर्पण के अन्तिम क्षण की प्रतीक्षा किये बिना एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना, तत्काल अभ्यर्पण कर देना चाहिये।

2.2 foRrh; mRrjnkf;Ro rFkk ctV iczU/ku

2.2.1 0;;kf/kD;

उ.प्र. बजट मैनुअल के नियम 140 एवं 174 के अनुसार, विधायिका द्वारा स्वीकृत दत्तमत अनुदान या भारित विनियोग से अधिक व्यय किया जाना वित्तीय अनियमितता को स्थापित करता है। तथापि, यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 की अवधि में कुल ₹ 6,917.60 करोड़ का अधिक व्यय था। अग्रेतर, यह संज्ञान में आया कि लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा तीन अनुदानों[32] के सापेक्ष ₹ 2,122.53 करोड़ (राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 348.02 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 1,774.51 करोड़) का अधिक व्यय किया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान अनुदान संख्या 58, लो.नि.वि. से सम्बन्धित 11 योजनाओं में बजट के माध्यम से ₹ 8,850.37 करोड़ का प्रावधान किया गया, तत्पश्चात् प्रावधान में से ₹ 352.05 करोड़ की कमी की गयी जिससे कुल प्रावधान ₹ 8,498.32 करोड़ का रहा। इसके बावजूद, लो.नि.वि. द्वारा ₹ 9,738.70 करोड़ का व्यय किया गया जो कि ₹ 1,240.38 करोड़ का अधिक व्यय था। ***ifjf'k"V 2.1*** में इसका विवरण दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ऋण के प्रतिदान के अन्तर्गत व्यय का सही आकलन करने में वित्त विभाग स्वयं असफल रहा, फलस्वरूप वर्ष के दौरान ₹ 4,794.78 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

यह भी पाया गया कि लो.नि.वि. द्वारा प्रत्येक वर्ष विधायिका द्वारा स्वीकृत विनियोग से अधिक व्यय किया गया। लो.नि.वि. से सम्बन्धित पिछले पांच वर्षों में अत्यधिक मात्रा में व्ययाधिक्य का विवरण नीचे **lkj.kh 2.2** में दिया गया है:

lkj.kh 2-2% vuoj r vf/kd 0;; l lEcfU/kr vuqnkuk dk fooj.k

(₹ djkM+ e)

Ø0 l0	vuqnku l[;k ,o uke	0;;kf/kD; dh /kujkf'k				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
		jktLo&nUker				
1.	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	166.12	204.95	310.73	281.23	346.07
		iwthxr&nUker				
2.	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	71.97	70.68	47.23	29.19	34.33
3.	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	2,152.37	3,131.34	2,430.21	2,211.02	1,701.67

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

[32] अनुदान सं0. 55– लो.नि.वि. (भवन), अनुदान सं0 57– लो.नि.वि. (संचार साधन–सेतु), अनुदान सं0 58– लो.नि.वि. (संचार साधन–सड़कें)।

राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित अनुदान से इस प्रकार बार–बार अधिक व्यय, विधायिका के अभिप्राय तथा लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्त, कि लोकसभा/राज्य विधानसभा के अनुमोदन के बिना एक रूपया भी व्यय नहीं किया जा सकता, का उल्लंघन है और इस कारण, गम्भीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है।

संस्तुतिः *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिये कि वित्त विभाग द्वारा स्वयं एवं किसी भी विभागीय नियन्त्रण अधिकारी द्वारा राज्य विधायिका से नियमानुसार स्वीकृत आवंटन से अधिक व्यय न किया जाय।*

2.2.2 अधिक हुए व्यय के विनियमितीकरण की आवश्यकता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्यय को राज्य विधायिका द्वारा विनियमित कराया जाय। यद्यपि, यह पाया गया कि पिछले दशक (वर्ष 2005-16) से सम्बन्धित 95 अनुदानों एवं 38 विनियोगों में व्ययाधिक्य ₹ 24,144.20 करोड़ का विनियमितीकरण कराये जाने में राज्य सरकार असफल रही (***परिशिष्ट 2.2*** अ)। वर्ष 2016-17 में, अनुदानों/विनियोगों के पाँच प्रकरणों में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत धनराशि से किये गये अधिक व्यय ₹ 5,662.17 करोड़ को विनियमित किये जाने की आवश्यकता थी (***परिशिष्ट 2.2*** ब)।

संस्तुतिः *वर्तमान में व्ययाधिक्य के सभी प्रकरणों को तत्परता से विनियमित किये जाने की आवश्यकता है तथा भविष्य में अत्यन्त एवं अधिकतम आकस्मिक स्थिति के प्रकरणों को छोड़कर, जिसकी पूर्ति आकस्मिकता निधि से नहीं की जा सकती, इस प्रकार के अदत्तमत व्यय को पूर्ण रूप से रोका जाना चाहिए।*

2.2.3 बचत

60 प्रकरणों में जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 10 करोड़ एवं कुल प्रावधानों के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी, का विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है। 41 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 59 प्रकरणों में ₹ 43,036.89 करोड़ की बचत हुई जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी, जिनका विवरण ***परिशिष्ट 2.4*** में दिया गया है।

लेखे के राजस्व दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें 15 अनुदानों के अन्तर्गतः अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), 11– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग), 26–गृह विभाग (पुलिस), 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी), 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), 37–नगर विकास विभाग, 48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग, 51–राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत), 52–राजस्व विभाग (राजस्व तथा अन्य व्यय), 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) एवं 95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) में हुई।

इसी प्रकार, लेखे के पूंजीगत दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें लेखे के छः अनुदानोंः अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), 13–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), 42–न्याय विभाग, 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) एवं 94–सिंचाई विभाग (निर्माण) में हुई।

ऊपर वर्णित अनुदानों में से 12 अनुदानों के 14 प्रकरण ऐसे थे, जिनमें वर्ष 2015-16 के दौरान भी बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक) हुई, जिसका विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया हैः

lkj.kh 2.3% cpr n'kkus okys vuqnku

¼₹ djksM+ esa½

Ø0 l0	vuqnku l£[;k	vuqnku dk uke	o"kZ ds nkSjku gqbZ cpr ¼₹ 500 djksM+ vkSj vf/kd½ 2015-16	2016-17
1	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)- पूंजीगत दत्तमत	1,669.11	3,300.96
2	26	गृह विभाग (पुलिस) - राजस्व दत्तमत	1,346.41	886.34
3	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)- राजस्व दत्तमत	938.53	1,088.42
4	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)- राजस्व दत्तमत	1,404.12	1,263.58
5	37	नगर विकास विभाग- राजस्व दत्तमत	1,390.72	2,751.47
6	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग- राजस्व दत्तमत	852.81	973.77
7	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग- राजस्व दत्तमत	1,058.88	1,106.73
8	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत) - राजस्व दत्तमत	1,318.61	4,132.50
9	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)- राजस्व दत्तमत	1,384.03	1,778.37
10	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)- राजस्व दत्तमत	3,229.85	2,414.62
11	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)- पूंजीगत दत्तमत	543.54	1,276.45
12	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)- राजस्व दत्तमत	2,306.78	1,704.21
13	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)- पूंजीगत दत्तमत	1,357.70	2,477.98
14	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)-राजस्व दत्तमत	933.97	1,180.41

(स्रोतः विनियोग लेखे वर्ष 2015-16 एवं 2016-17)

2.2.4 vuojr cpr

यह संज्ञान में आया कि 17 अनुदानों के अन्तर्गत 22 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ और अधिक), ₹ 102.54 करोड़ एवं ₹ 3,300.96 करोड़ के मध्य थी, जैसा कि विवरण *ifjf'k"V* **2.5** में दिया गया है।

¼laLrqfr½ सभी प्रत्याशित बचतों को समय से अभ्यर्पित कर देना चाहिये जिससे निधियों का उपयोग विकास के अन्य उद्देश्यों के लिये किया जा सके।

2.2.5 vuko';d@vi;kZIr vuqiwjd izko/kku

वर्ष 2016-17 में, 56 प्रकरणों में ₹ 7,712.64 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी, जिसका विवरण *ifjf'k"V* **2.6** में दिया गया है।

2.2.6 vf/kd@vuko';d fuf/k;ksa dk iqufoZfu;ksx

पुनर्विनियोग के बावजूद, 43 अनुदानों में निहित 109 उप–शीर्षों में ₹ 2,294.89 करोड़ की बचत तथा 28 अनुदानों के 53 उपशीर्षों में ₹ 1,693.44 करोड़ का व्ययाधिक्य, वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग को दर्शाता है (*ifjf'k"V* **2.7**)।

2.2.7 vR;f/kd /kujkf'k;ksa dk vH;iZ.k

वर्ष 2016-17 के दौरान, 247 उपशीर्षों में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 50 *प्रतिशत* या अधिक) ₹ 9,280.48 करोड़ (कुल प्रावधान

₹ 11,086.84 करोड़ का 84 *प्रतिशत*) किया गया, जिसमें 105 योजनाओं/कार्यक्रमों (₹ 5,196.55 करोड़) का 100 *प्रतिशत* अभ्यर्पण सम्मिलित है, जिसका विवरण ***ifjf'k"V 2.8*** में दिया गया है। इस प्रकार अत्यधिक धनराशियों के अभ्यर्पण से स्पष्ट है कि या तो बजट बनाने में समुचित सावधानी नहीं बरती गयी या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गम्भीर कमी हुई।

2.2.8 okLrfod cpr l vf/kd vH;i.k

वर्ष 2016-17 के दौरान, छः अनुदानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) में ₹ 4,869.45 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 5,434.93 करोड़ धनराशि का अभ्यर्पण किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 565.48 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ, जिसका विवरण ***ifjf'k"V 2.9*** में दिया गया है। वास्तविक बचत से अधिक धनराशि के अभ्यर्पण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह की निगरानी पर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण नहीं रखा गया।

2.2.9 vH;fiir u dh xbl iokuqekfur cpr

बजट मैनुअल के प्रस्तर 139 के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को ऐसे अनुदान/विनियोग या उनके अंश को, जैसे ही बचत प्रत्याशित हो, वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। वर्ष 2016-17 के अन्त में, अनुदानों/विनियोगों के 41 प्रकरणों में ₹ 11,529.63 करोड़ की बचत होने के पश्चात् भी उसका कोई भी भाग व्यय करने वाले विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया गया। विस्तृत विवरण ***ifjf'k"V 2.10*** में दिया गया है।

इसी प्रकार, 90 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत) में बचत की धनराशि ₹ 35,507.05 करोड़ में से ₹ 24,143.67 करोड़ (68 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं की गयी ***¼ifjf'k"V 2.11½*** जो कुल बचत ₹ 45,513.63 करोड़ का 53 *प्रतिशत* थी। यह अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण एवं परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन दर्शाता है।

lLrfr% *सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अत्यधिक, अनावश्यक, अनुपूरक प्रावधान तथा अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण से बचा जाय।*

2.2.10 O;; dk xyr oxhdj.k

राजस्व व्यय स्वभावतः आवर्ती होता है और राजस्व प्राप्तियों से होना माना जाता है। अग्रेतर, भारत सरकार लेखा मानक–2 (आई.जी.ए.एस–2) के अनुसार सहायता अनुदान पर किया गया व्यय स्वीकृतिकर्ता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं प्राप्तकर्ता के लेखे में राजस्व प्राप्तियों के रूप में अभिलिखित किया जाता है। स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

यद्यपि वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये लघु निर्माण कार्यों हेतु ₹ 64.75 करोड़ को राजस्व शीर्ष में पुस्तांकित न करके विभिन्न पूंजीगत शीर्षों में पुस्तांकित किया गया। सहायता अनुदानों पर व्यय धनराशि ₹ 0.46 करोड़ पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत किया गया जबकि इसे राजस्व व्यय के रूप में व्यय किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, 'गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद', 'व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान' एवं 'कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय' मद पर क्रमशः ₹ 0.03 करोड़, ₹ 3.63 करोड़ एवं ₹ 0.21 करोड़ (कुल ₹ 3.87 करोड़) के व्यय को पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया, जिसे राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना था।

2.2.11 jkT; vkdfLedrk fuf/k ls vfxze &ifrifrZ ugha dh x;h

आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि, ₹ 600 करोड़ की कार्पस धनराशि के साथ रखी जाती है। उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि नियम, 1962 के अनुसार, निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित तथा आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए लिया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक लम्बित रहती है।

यद्यपि, यह पाया गया कि आकस्मिकता निधि से दिसम्बर 2016 से फरवरी 2017 के दौरान ₹ 308.12 करोड़ आहरित किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष (मार्च 2017) के अन्त तक नहीं हुई थी।

अग्रेतर, यह संज्ञान में आया कि अग्रिम में से उ.प्र. जल निगम को दिसम्बर 2016 से जनवरी 2017 के दौरान ₹ 300 करोड़ ब्याज रहित ऋण के रूप में वेतन तथा सेवानिवृत्तिक प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए दिया गया, जो आकस्मिक तथा अप्रत्याशित व्यय का समावेश नहीं करता एवं उ.प्र. आकस्मिकता निधि के नियमों के विपरीत वर्ष के दौरान इसकी प्रतिपूर्ति भी नहीं की गयी।

lLrqfr% राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आकस्मिक एवं अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय को छोड़कर आकस्मिकता निधि से किसी अग्रिम का आहरण न किया जाये।

2.2.12 O;; dk vfrjsd

सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) के नियम 56(3) के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय का अतिरेक, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन होगा तथा इसे रोका जाना चाहिये। अन्तिम त्रैमासिक में व्यय को सामग्री तथा सेवाओं की वास्तविक अधिप्राप्ति एवं पूर्व में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के अनुसार सीमित करना चाहिये। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अन्तिम माह (मार्च) में व्यय की सीमा 15 *प्रतिशत* तक सीमित की गयी है। यद्यपि, उ.प्र. सरकार द्वारा व्यय के अतिरेक की सीमा के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाया गया है।

ifjf'k"V **2.12** में ऐसे प्रकरण वर्णित हैं जिसमें मार्च 2017 में व्यय पूरे वर्ष के आवंटन का 15 *प्रतिशत* से अधिक था। इन प्रकरणों में से, मुख्य शीर्ष 2515 के अन्तर्गत *पंचायती राज* को अनुदान के वास्तविक व्यय, ₹ 13,409.89 करोड़, के सापेक्ष ₹ 3,813.33 करोड़ (27 *प्रतिशत*) का व्यय केवल मार्च 2017 में किया गया। यह भी पाया गया कि उ.प्र. सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (₹ 80.82 करोड़) एवं ग्राम पंचायत को सहायता अनुदान (₹ 2,972.99 करोड़) के लिए कुल ₹ 3,053.81 करोड़ के स्वीकृति आदेशों को एक ही दिन, 30 मार्च 2017, को निर्गत किया गया।

lLrqfr% शासन को यह सुनिश्चित करने के लिये नियम बनाना चाहिये कि बजट प्रावधान अनुपयोगी न रहे एवं वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय के अतिरेक पर नियन्त्रण हो।